झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

झारखण्ड सम्पत्ति कर पर्षद के सदस्यों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना

विज्ञापन संख्या– दिनांक–..................

नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, के विज्ञापन संख्या–5070 दिनांक–07.08.2017 द्वारा **"झारखण्ड सम्पत्ति कर पर्षद"** के अध्यक्ष एवं दो सदस्यों की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे।

उक्त आमंत्रण सूचना में अपरिहार्य कारणों से आंशिक संशोधन करते हुए सदस्य सामान्य एवं सदस्य विधि के पदों पर चयन हेतु निम्नांकित प्रावधानों के आधार पर आवेदन पत्र पुनः आमंत्रित किए जाते है।

5887
11/09/17

पूर्व में प्रकाशित आवेदन आमंत्रण सूचना के क्रम में आवेदन समर्पित करने वाले आवेदकों से पुनः विधिवत् आवेदन समर्पित करने हेतु अनुरोध है।

I. प्रसंगाधीन पदों हेतु योग्यता एवं अहर्त्ता निम्नवत् हैः–

(क) **सदस्य (सामान्य)**–नगरीय, प्रशासन, अभियंत्रण, नगर नियोजन, सम्पत्तियों का मूल्यांकन, लेखा राजस्व या आर्थिक क्षेत्र में विशेषज्ञ।

(ख) **सदस्य (विधि)**–विधि एवं न्याय के क्षेत्र में अनुभव रखने वाला व्यक्ति।

II. **कार्यकालः**–प्रत्येक सदस्य अपने पदग्रहण की तिथि से 3 वर्षों की अवधि के लिए पदधारण करेंगे। परन्तु 03 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व 65 वर्ष की आयु पूरी करने की तिथि से अपना पद रिक्त कर देंगे।

III. **अनुमान्य वेतनमानः**–

(क) सदस्य (सामान्य) :– PB-IV-37400-67000-GP-8700

(ख) सदस्य (विधि) :– PB-IV-37400-67000-GP-8700

नोटः–

(i) वर्णित वेतनमानों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमान्य भत्ते अनुमान्य होंगे तथा राज्य कर्मियों के अनुरूप सेवा की शर्त्तें एवं बंधेज लागु होंगे।

(ii) सेवानिवृत्त पदाधिकारी के मामले में राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप वेतन देय होगा।

IV. **आवेदन पत्र जमा करने का स्थानः**– प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, सचिव कोषांग, चतुर्थ तल, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची, झारखण्ड।

V. प्रसंगाधीन **झारखण्ड सम्पत्ति कर पर्षद** "झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011" एवं नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना 1874 दिनांक–13.05.14 के द्वारा अधिसूचित "झारखण्ड सम्पत्ति कर पर्षद संरचना एवं अपील नियमावली, 2013" के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्य करेगी।

VI. विभाग में आवेदन पत्र प्राप्त होने की **अंतिम तिथि 05.10.2017 की संध्या 18:00 बजे** होगी। उक्त तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

11/09/17

(मनीषा जोसेफ तिग्गा)
सरकार के उप सचिव।

Manju/E/Sec-8/Press_5

ज्ञापांक–8 / न०वि० / नियमावली / 107 / 2014 5887 रॉंची, दिनांक 11/09/14

प्रतिलिपिः–निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इस सूचना को स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

11/09/17

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–8 / न०वि० / नियमावली / 107 / 2014 5887 रॉंची, दि0– 11/09/14

प्रतिलिपिः–मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड / विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / मुख्य सचिव कार्यालय / विकास आयुक्त, झारखण्ड / प्रधान सचिव, विधि विभाग / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय / निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, रॉंची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/09/17

सरकार के उप सचिव।

सदस्य (सामान्य/विधि) के पद हेतु प्रपत्र

आवेदित पद का नामः—..

नाम/पिता का नाम/पता/दूरभाष संख्या	जन्मतिथि/उम्र	सेवा में प्रथम योगदान की तिथि (सरकारी कर्मी के मामले में)	सेवानिवृत्ति की तिथि/अंतिम धारित पद (सरकारी कर्मी के मामले में)	वेतनमान/प्राप्त पेंशन की राशि (सरकारी कर्मी के मामले में)	निबंधन की संख्या/तिथि (सदस्य (विधि) के मामले में)	संबंधित क्षेत्र में प्राप्त अनुभव
1	2	3	4	5	6	7

नोटः— (i) जो लागु न हो उसे काट (X) दें।

(ii) कॉलम—6 एवं 7 के संबंध में आवश्यक कागजातों की स्वअभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाय।